







# प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अग्निशमन विभाग नहीं छोड़ रही कोर कसर

पर्याप्त संख्या में दमकल व फायर कर्मी रहेंगे तैनात - सीएफओ



अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहां तक कि एसएफओ ने आयोध्या में दमकल व फायर कर्मी को फायर ब्रिंगेंट दमकल, हाई प्रेशर पंप, क्रेंश फायर फोम दमकल के साथ तैनात रहेंगे। यह जानकारी सीएफओ एमपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी कार्यक्रम खण्डों को चिह्नित कर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है।

## अन्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध



ब्लूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। जिला पूर्वी अधिकारी ने अग्रकार कराया है कि "भारत सरकार द्वारा, योजनात्मक आचार्यादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकलूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आचार्यादित अन्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।"

उक्त क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुक्ष्मा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-जनवरी, 2024 के सापेक्ष आवृत्ति खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के मध्य किया जायेगा।

उक्त वितरण अवधि में अन्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित

कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पॉर्टेविलीटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पर्याप्ति की रखना करने के लिए वितरण का पालन करता हुए नियमानुसार राशनकार्ड वारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्याप्तीय अधिकारियों की वितरण में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से विचित्र न रह जाये।

आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

तत्क्रम में

जनपद के समर्त उचित दर विक्रेताओं को निर्वैशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी शोशल डिस्ट्रेसिंग के निरैशों का पालन करता हुए नियमानुसार राशनकार्ड वारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्याप्तीय अधिकारियों की वितरण में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से विचित्र न रह जाये।

उक्त वितरण अवधि में अन्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा गेहूं व 03 किग्रा चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित

कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पॉर्टेविलीटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पर्याप्ति की रखना करने के लिए वितरण का पालन करता हुए नियमानुसार राशनकार्ड वारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्याप्तीय अधिकारियों की वितरण में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से विचित्र न रह जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने जांच करके युग्मतापूर्ण नियमानुसार कराया जाए। सम्पूर्ण समाधान दिवस पर ज्यादातर शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

इस अवसर पर पुलिस अधिकारी डॉ. अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक बृंजेश कुमार, मुख्य विक्रिक्षाता अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह, उप जिलाधिकारी सदर रिशेपुर्किं, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी प्रजाकांत्रिका विधायिका सदृशी वितरण की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2024 होगी, जिस दिन

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निरस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों

के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में जो भी शिकायतों प्राप्त हुई हैं उन्होंने कहा कि लेखावाही तथा उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वित